# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 82/2022

उनवान

जयकिशन पुत्र चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र मोडी, जरियें ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
3. नायब तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित
2 व 3 जरियें राज. पैरोकार

4. बद्रीलाल पुत्र चतुर्भुज
5. रामस्वरूप पुत्र कल्याण
6. रतनी पत्नी श्रीकिशन
7. रामराज पुत्र श्रीकिशन समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 4 से 7 अनुपस्थित

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 94 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

—: आदेश :— दिनांक :— 26.11.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी के वंर्किग खसरा नम्बर 155 रकबा 0.49 हाल खसरा नम्बर 544 रकबा 0.29 व 551 रकबा 0.21 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की सह खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 216 के हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 0.26 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 551 का कुछ भाग करीब 04 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 552 में गलत रूप से सम्मिलित कर दी। उक्त त्रुटी दुरूस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा पृथक से आवेदन हाजा न्यायालय में पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 552 के उत्तरी सीमा की तरफ निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने मूल वाद में जवाब पेश किया

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:14:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

तथा इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

**प्रथम दृष्टया मामला :–**

ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 551 रकबा 0.20 व 544 रकबा 0.29 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की सह खातेदारी की है। खसरा नम्बर 552 रकबा 0.26 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है। उक्त आराजी हाल राजस्व मानचित्र में आस–पास स्थित है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 155 व 216 भी वंर्किग मानचित्र में आस–पास स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। हाल खसरा नम्बर 551 रकबा 0.20 व 544 रकबा 0.29 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की खातेदारी का है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है। प्रकरण के खण्डन के कोई तथ्य पत्रावली पर नही है अतः प्रार्थी के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 551 रकबा 0.20 व 544 रकबा 0.29 प्रार्थी की खातेदारी का है। अविभाजित आराजी पर निर्माण करने से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**आदेश** :– अतः ग्राम मोडी के हाल खसरा नम्बर 551 रकबा 0.20 व 544 रकबा 0.29 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे, निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:14:23 IST
Reason: SelfAttested